भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4760

(जिसका उत्तर 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु मापदंडों में ढील देना

4760. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजराः

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आहरण संबंधी मानकों सहित राष्ट्रीय पेंशन योजना के मापदंडों (एनपीएस) में परिवर्तन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): जी हां, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत तीन परिवर्तन किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

1. **सेवा के दौरान आंशिक आहरण** : एनपीएस के अंतर्गत नामांकित अभिदाताओं की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने आंशिक आहरण के लिए मानदंडों को सरल बनाया है जिसमें एनपीएस के अंतर्गत नामांकित होने के न्यूनतम वर्ष की आवश्यकता को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 10 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाना भी शामिल है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2017 के माध्यम से समुचित संशोधन किए गए हैं और उन्हें दिनांक 10.08.2017 को अधिसूचित किया गया है।

2. **एनपीएस के अंतर्गत शामिल होने की तिथि में बढ़ोतरी** : ऐसे व्यक्तियों (एनपीएस के अंतर्गत-सभी नागरिक मॉडल और कारपोरेट क्षेत्र के मॉडल) जो 60 वर्ष और 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में हैं, को एनपीएस प्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2017 के माध्यम से समुचित संशोधन किये गए हैं और उन्हें दिनांक 06.10.2017 को अधिसूचित किया गया है।

3. **अभिदाता की विकलांगता और अक्षमता के मामले में निकासी** : एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए अभिदाता की विकलांगता और अक्षमता के मामले में सरल निकासी एवं आहरण को सुकर बनाने के उद्देश्य से पीएफआरडीए ने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2018 में समुचित संशोधन किए गए हैं और उन्हें दिनांक 02.02.2018 को अधिसूचित किया गया है।

****